माननीय जे.एल. गुप्ता, जे.के समक्ष

श्री राम फल पुनिया और अन्य - याचिकाकर्ता।

बनाम

हरियाणा राज्य और अन्य, प्रतिवादी।

1991 की सिविल रिट याचिका संख्या 1162

7 जनवरी 1992.

भारत का संविधान, 1950. अनुच्छेद 14 और 16-चयन नियुक्ति- *आदेश- कंडक्टरों* के *500* पदों *को भरने के लिए* आवेदन *आमंत्रित किए गए- अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड ने* योग्यता *के क्रम में विभाग में 1517 उम्मीदवारों की सिफारिश की- सामान्य श्रेणी में नियुक्त याचिकाकर्ताओं की तुलना में योग्यता में कोई भी व्यक्ति कम नहीं है- याचिकाकर्ताओं की तुलना में योग्यता में कम व्यक्तियों का कोई विशेष नाम नहीं है,* याचिकाकर्ताओं ने बताया कि किसने नियुक्ति हासिल की - उल्लेखित व्यक्ति को भूतपूर्व सैनिक श्रेणी से संबंधित माना जाता है। सवाल यह है कि क्या पूर्व सैनिक के आश्रित की नियुक्ति उचित है - इस पर विचार नहीं किया गया क्योंकि याचिकाकर्ता अलग श्रेणी के हैं और इसे चुनौती नहीं दे सकते - याचिकाकर्ताओं को नियुक्ति का कोई अधिकार नहीं है।

हरियाणा राज्य और अन्य बनाम राजिंदर कुमार और अन्य 1990 (2) आर.एस.जे. 744 प्रतिष्ठित

पीएआई आर. 1902 एस.सी. 865.

अभिनिर्धारित किया गया कि उपरोक्त निर्णय का अवलोकन ही याचिकाकर्ताओं की ओर से किए गए दावे को विफल कर देता है।यह तभी होता है जब कुछ पदों के लिए चयन किया जाता है, कि चयनित उम्मीदवारों को नियुक्ति के लिए विचार करने का अधिकार होता है।इस मामले में, केवल 500 पदों का विज्ञापन किया गया था और निश्चित रूप से, 1,000 व्यक्तियों को पहले ही नियुक्त किया जा चुका है।यदि राज्य मानकों में और ढील नहीं देता है, तो याचिकाकर्ताओं को कोई वैध अधिकार नहीं है।इसके अलावा, यदि बोर्ड ने 1,500 से अधिक व्यक्तियों के नामों की सिफारिश की है।यह नहीं कहा जा सकता कि उन सभी को नियुक्त होने का निहित अधिकार *है।वर्तमान मामले* में एक और विशिष्टता यह है कि इनमें से किसी भी पद के खिलाफ कोई तदर्थ नियुक्ति नहीं तदर्थ गई है।खण्ड पीठ ने उपरोक्त टिप्पणियों को कुछ पदों तदर्थ चयन के संदर्भ में किया है और चयनित व्यक्तियों की नियुक्ति के बजाय, *पदों को* तदर्थ आधार पर भरा गया था।यहाँ ऐसी स्थिति नहीं है।तदनुसार, हरियाणा राज्य और एक अन्य बनाम राजिंदर कुमार और अन्य मामले में निर्णय से *कोई* उपयोगी लाभ प्राप्त नहीं किया जा सकता है।

(पैरा 10)

उपस्थित

याचिकाकर्ताओं की ओर से सुनील गौड़, अधिवक्ता, एस.एन. सिंगला, रमेश हुडा, अरुण जैन, अधिवक्ता।

प्रतिवादी की ओर से, हरियाणा राज्य के वकील, जसवन्त सिंह।

न्याय

जवाहर लाल गुप्ता, जे. (मौखिक)

1. यह आदेश 18 रिट याचिकाओं का निपटारा करेगा, अर्थात् 1990 की संख्या 9257,1990 की संख्या 12360,1990 की संख्या 13160,1990 की संख्या 15135,1991 की संख्या 5642। 1991 का 6603,1991 का 6813,1991 का

7005,1991 का 7428,1991 का 7429,1991 का 8547,1991 का 10057,1991 का 1162,1991 का 12913,1991 का 13745,1991 का 13759,1991 का 13897 और 1991 का 16169।

2. 1991 की सिविल रिट याचिका संख्या 1162 में बताए गए तथ्यों पर ध्यान दिया जा सकता हैः—

3. परिवहन आयुक्त, हरियाणा से अनुरोध प्राप्त होने पर, अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड (इसके बाद।बोर्ड के रूप में संदर्भित) ने 22 जुलाई, 1987 को एक विज्ञापन जारी किया।हरियाणा रोडवेज में कंडक्टरों के 500 पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए थे।सरकार द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार अनुसूचित जाति, पिछड़े वर्ग और पूर्व सैनिकों जैसी विभिन्न श्रेणियों के लिए आरक्षण किया गया था।

याचिकाकर्ताओं ने प्रतिस्पर्धा की।अंततः 16 फरवरी, 1989 को बोर्ड ने 1517 उम्मीदवारों की सूची परिवहन विभाग को भेज दी।याचिकाकर्ताओं के नाम इस सूची में क्रमशः 1347,1222 और 1337 पर उल्लिखित हैं।अभ्यावेदन के बावजूद नियुक्ति प्राप्त करने में विफल रहने के कारण, याचिकाकर्ताओं ने राज्य परिवहन आयुक्त को उन्हें नियुक्त करने का निर्देश देते हुए उचित रिट, निर्देश या आदेश जारी करने के लिए इस न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है।

(4) प्रतिवादी की ओर से एक लिखित बयान दायर किया गया है जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ यह उल्लेख किया गया है कि अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड की सिफारिश प्राप्त होने पर, नाम विभिन्न महाप्रबंधकों, हरियाणा रोडवेज को भेज दिए गए थे। उन्हें योग्यता के क्रम में सख्ती से नियुक्तियां दें। इस प्रकार, उत्तरदाताओं के अनुसार नियुक्तियाँ कड़ाई से योग्यता के आधार पर की गईं। आगे बताया गया है कि भले ही शुरू में कुछ नामों की सिफारिश के लिए रोजगार कार्यालय को एक मांग भेजी गई थी, 14 नवंबर, 1990 के पत्र के माध्यम से उक्त मांग वापस ले ली गई थी। यह भी तर्क दिया गया है कि योग्यता के क्रम में याचिकाकर्ताओं से नीचे के किसी भी व्यक्ति को नियुक्त नहीं किया

गया है। यह भी कहा गया है कि मानदंडों में गिरावट के परिणामस्वरूप, हरियाणा रोडवेज के डिपो में कर्मचारी पहले से ही अधिशेष हो गए हैं और रोजगार कार्यालय के माध्यम से कोई तदर्थ नियुक्ति नहीं की गई है। आगे कहा गया है कि बोर्ड द्वारा अनुशंसित उम्मीदवारों की सूची में से आगे की भर्ती रोक दी गई है। मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार द्वारा 5 फरवरी, 1990 के पत्र के माध्यम से जारी निर्देश, जिसमें इस बात पर जोर दिया गया है कि कोई तदर्थ नियुक्ति नहीं की जाएगी, विभाग द्वारा लागू किए जा रहे हैं।

(5) याचिकाकर्ताओं की ओर से दो दलीलें उठाई गई हैं।सबसे पहले, यह तर्क दिया गया है कि याचिकाकर्ताओं का चयन हो चुका है और रिक्तियां वास्तव में उपलब्ध हैं, इसलिए उन्हें नियुक्ति का अधिकार है। यह तर्क देने के लिए कि यदि रिक्तियां उपलब्ध हैं तो चयनित व्यक्तियों को नियुक्त होने का अधिकार है, हरियाणा राज्य बनाम राजिंदर कुमार और अन्य (1) मामले में इस न्यायालय की डिवीजन बेंच के फैसले पर भरोसा किया जा रहा है । दूसरे, यह तर्क दिया गया है कि एक श्री सुमेर सिंह, जो इन सभी रिट याचिकाओं में याचिकाकर्ताओं से नीचे हैं, को नियुक्ति दी गई है, याचिकाकर्ताओं को कंडक्टर के रूप में नियुक्ति पाने का अधिकार है और उन्हें नियुक्त न करने में प्रतिवादी की कार्रवाई भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 का उल्लंघन है। इस तथ्य पर जोर दिया गया है कि विभिन्न रिट याचिकाओं में विशिष्ट कथनों के बावजूद,याचिकाकर्ताओं को प्रस्ताव देने से पहले प्रतिवादी (बोर्ड के साथ-साथ विभाग) की ओर से श्री सुमेर सिंह की नियुक्ति को उचित ठहराने के लिए कोई लिखित बयान दायर नहीं किया गया है।

(1) 1990 (2) आर.एस.जे. 744

(6) यह निस्संदेह सही है कि याचिकाकर्ताओं के नाम विभाग द्वारा भेजे गए 1517 उम्मीदवारों की मेरिट सूची में पाए गए थे। माना कि सभी याचिकाकर्ता सामान्य वर्ग से हैं। इस श्रेणी में उनसे कनिष्ठ किसी व्यक्ति का कोई विशेष नाम नहीं बताया गया है जिससे यह पता चले कि मेरिट सूची में याचिकाकर्ताओं से नीचे के किसी व्यक्ति को नियुक्ति दी गई है। जहाँ तक श्री सुमेर सिंह का संबंध है, इस तथ्य के बावजूद कि कोई लिखित बयान दायर नहीं किया गया है, विद्वान अधिवक्ता ने मेरे सामने अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड से प्राप्त मूल सूची प्रस्तुत की है ताकि यह दिखाया जा सके कि पूर्व सैनिक के लिए आरक्षित पदों में से एक के खिलाफ श्री सुमेर सिंह को नियुक्ति दी गई है।सूची में श्री सुमेर सिंह का नाम क्र. सं. 1400 पर आता । उनका रोल नंबर 19940 दिखाया गया है। 'श्रेणी' से संबंधित कॉलम के सामने 'डी/ईएसएम' शब्द दिखाई देते हैं। इससे, श्री जसवन्त सिंह, अधिवक्ता का तर्क है कि श्री सुमेर सिंह एक पूर्व सैनिक के आश्रित हैं। उनकी नियुक्ति पूर्व सैनिकों के लिए आरक्षित पदों में से केवल एक पद पर की गई है। तदनुसार, विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि याचिकाकर्ताओं के पास उनकी नियुक्ति को चुनौती देने का कोई वैध कारण नहीं हो सकता है।

(7) विज्ञापन, संलग्नक पी-1 के अवलोकन से पता चलता है कि 85 पद पूर्व सैनिकों के लिए आरक्षित किए गए हैं, न कि पूर्व सैनिकों के आश्रितों के लिए। यह समझ में नहीं आ रहा है कि पूर्व सैनिकों के लिए आरक्षित पदों पर पूर्व सैनिकों के आश्रितों को कैसे नियुक्त कर दिया गया है। भले ही पूर्व सैनिकों के आश्रितों के पक्ष में कुछ आरक्षण प्रदान करने के निर्देश हैं, जब तक कि पदों का विज्ञापन करते समय ऐसे आरक्षण किए गए हैं । यह बेहद संदिग्ध है कि क्या विभाग पूर्व सैनिकों के आश्रितों की नियुक्तियां भूतपूर्व सैनिक के लिए आरक्षित लागत में से कर सकता है। जैसा हो सकता है वैसा रहने दें। जहां तक याचिकाकर्ताओं का सवाल है, वे स्वीकार करते हैं कि वे सामान्य श्रेणी के हैं और यह नहीं दिखाया गया है कि किसी भी याचिकाकर्ता से नीचे के किसी भी व्यक्ति को कंडक्टर के रूप में नियुक्त किया गया है। इस स्थिति में, यह नहीं कहा जा

सकता कि याचिकाकर्ताओं के साथ भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 का उल्लंघन करते हुए असमान व्यवहार और भेदभाव किया गया है ।

(8) हरियाणा राज्य और अन्य बनाम राजिंदर कुमार और अन्य (सुप्रा) के मामले में निम्नलिखित टिप्पणियों पर भरोसा किया गया है:

"लेकिन यदि पद उपलब्ध हैं और उन पदों के लिए चयन नहीं किया गया है और यहां तक कि ताजा विज्ञापन भी जारी किया गया है या वही पद हैं और कुछ व्यक्तियों को उन पदों पर तदर्थ आधार पर नियुक्त किया गया है, तो ऐसी परिस्थितियों में राज्य सरकार को विधिवत चयनित उम्मीदवारों को नियुक्त न करने के लिए कानूनी औचित्य देना चाहिए। विद्वान एकल न्यायाधीश ने राज्य सरकार के इस बिंदु को खारिज करते हुए नीलिमा शांगला बनाम हरियाणा राज्य, 1986 (3) एस.एल.आर. 389, के रूप में रिपोर्ट किए गए सुप्रीम कोर्ट के मामले पर सही ढंग से भरोसा किया। जिसमें यह माना गया है कि राज्य किसी भी कानूनी औचित्य के बिना सक्षम प्राधिकारी द्वारा चुने गए उम्मीदवार को नियुक्ति से इनकार नहीं कर सकता है। न्यायालय कानूनी औचित्य पर जा सकता है जो राज्य द्वारा रखा जा सकता है।

(9) यह तर्क दिया गया है कि यदि पद उपलब्ध हैं तो उन पदों के लिए चयन किया गया है, राज्य सरकार को विधिवत चयनित उम्मीदवारों को नियुक्त नहीं करने के लिए कानूनी औचित्य देना चाहिए।

(10) उपरोक्त निर्णय का अवलोकन स्वयं याचिकाकर्ताओं की ओर से किए गए दावे को खारिज कर देता है। ऐसा केवल तभी होता है जब चयन कुछ पदों के लिए किया गया हो, कि चयन उम्मीदवारों को नियुक्ति के लिए विचार किए जाने का अधिकार है। इस मामले में, केवल 500 सीटों का विज्ञापन किया गया था और माना जाता है कि 1000 व्यक्तियों को पहले ही नियुक्त किया जा चुका है। यदि राज्य ने मानक में और अधिक ढील नहीं देने का फैसला किया है, तो

याचिकाकर्ताओं के पास कोई वैध अधिकार नहीं है। इसके अलावा, यदि बोर्ड ने 1,500 से अधिक व्यक्तियों के नामों की सिफारिश की है, तो यह नहीं कहा जा सकता कि उन सभी को नियुक्ति का निहित अधिकार है। वर्तमान मामले में एक और विशिष्ट विशेषता यह है कि इनमें से किसी भी पद पर कोई तदर्थ नियुक्ति नहीं की गई है। डिवीजन बेंच ने उपरोक्त उद्धृत टिप्पणियाँ कुछ पदों के लिए किए गए चयन के संदर्भ में की हैं और चयनित व्यक्तियों को नियुक्त करने के बजाय, पदों को तदर्थ नियुक्ति के आधार पर भरा गया था। यहां ऐसी स्थिति नहीं है. तदनुसार, राजिंदर कुमार के मामले (सुप्रा) में फैसले से कोई उपयोगी लाभ प्राप्त नहीं किया जा सकता है।

11) तदनुसार, मुझे इन रिट याचिकाओं में कोई योग्यता नहीं मिली। तद्नुसार इन्हें खारिज किया जाता है। हालाँकि, मामले की परिस्थितियों में, पार्टियों को अपनी लागत वहन करने के लिए छोड़ दिया गया है।

(12) फैसला देने से पहले, यह बताना उचित होगा कि विभाग ने इन मामलों को सबसे अधिक लापरवाही से देखा है।पर्याप्त समय की उपलब्धता के बावजूद इस न्यायालय में लंबित विभिन्न रिट याचिकाओं पर कोई लिखित बयान दायर नहीं किया गया है। . याचिकाओं में दिए गए विशिष्ट कथनों का उत्तर नहीं दिया गया है। संबंधित प्राधिकारियों को भविष्य में और अधिक सावधान रहना चाहिए।

(13) 1990 की सिविल रिट याचिका संख्या 13160 में, दोनों याचिकाकर्ता पिछड़े वर्ग की श्रेणी में हैं। जहां तक इन याचिकाओं का सवाल है, योग्यता के क्रम में उनके नीचे किसी को भी शामिल नहीं किया गया है। तदनुसार, उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, इस याचिका में कोई योग्यता नहीं है। तद्नुसार इसे खारिज किया जाता है।

(14) 1991 की सिविल रिट याचिका संख्या 6813, 7005, 7428, 7429 और 12913 में, याचिकाकर्ता एक या दूसरे आरक्षित वर्ग से थे, लेकिन योग्यता के

क्रम में उनके नीचे किसी को भी शामिल नहीं किया गया है, तदनुसार, वहाँ है इन याचिकाओं में कोई योग्यता नहीं है और इस प्रकार,उन्हें भी खारिज कर दिया जाता है।

आर.आईएलआर

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा ।

रश्मीत कौर

प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी

गुरूग्राम, हरियाणा